छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक: 485/2005

अपीलार्थी(प्रतिवादी):

सचनंद मूलचंदानी, आत्मज स्वर्गीय जॅकी राम मूलचंदानी, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी केलकरपारा, रायपुर।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी(वादी):

डॉ. मेघराज के. रामनानी, आयु लगभग 53 वर्ष, आत्मज श्री खिलूमल रामनानी, निवासी जवाहर नगर, ममता नर्सिंग होम, रायपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अंतर्गत प्रस्तुत द्वितीय अपील</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक: 485/2005

अपीलार्थी(प्रतिवादी): सचनंद मूलचंदानी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी(वादी): डॉ. मेघराज के. रामनानी।

अपीलार्थी/प्रतिवादी के ओर से श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 05/01/2006 को पारित किया गया)

धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश के अनुसार:

1. अपीलार्थी/प्रतिवादी ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 100 के अंतर्गत यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है क्योंकि वह विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री से व्यथित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 36-बी/2002 में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 28.03.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया है और प्रत्यर्थी/वादी द्वारा

उपरोक्त निर्णय और डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। (पक्षकारों को इसके पश्चात विचारण न्यायालय के समक्ष उनके विवरण के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)

2. वादी ने प्रतिवादी को 25,000/- रुपये की राशि की वसूली के लिए एक व्यवहार वाद दायर किया, जो प्रतिवादी को दो वचन पत्रों दिनांक 25.05.1992 को 15,000/- रुपये और 26.05.1992 को 10,000/- रुपये के विरुद्ध अग्रिम दी गई थी और उपरोक्त राशि पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और अन्य खर्चों की मांग की गई थी। इस प्रकार वादी ने कुल 34,000/- रुपये की वसूली और वाद संस्थित करने की तिथि से ऋण की अदायगी तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का दावा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रतिवादी ने वाद के कथनों से इनकार किया और तथ्य प्रस्तुत किया कि उसने वादी से कोई ऋण नहीं लिया है और वह उसे नहीं पहचानता है और वास्तव में प्रचलित प्रथा के अनुसार जब भी उसे व्यवसाय में धन की आवश्यकता होती थी, वह इसे दलाल अमृत कुमार जयसिंघानी के माध्यम से प्राप्त करता था, जिसने कोरे वचन पत्र पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद आवश्यक राशि प्रदान की थी। वर्तमान प्रकरण में भी उसने ऋण के लिए उक्त अमृत कुमार से संपर्क किया था जिसने दो कोरे वचन पत्रों पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद 25,000/- रुपये प्रदान किए

थे। उसने आगे प्रस्तुत किया कि उसने उक्त राशि अमृत कुमार को लौटा दी थी, हालांकि उसके हस्ताक्षर वाले दो वचन पत्र नहीं लौटाए गए थे और वादी ने उपरोक्त वचन पत्रों में धोखाधड़ी से अपना नाम और तारीख भरकर उपरोक्त वाद दायर किया है। उसने आगे आपत्ति जताई कि वाद आवश्यक पक्षकार अमृत कुमार के असंयोजन के कारण खारिज होने योग्य था क्योंकि वचन पत्रों पर अमृत कुमार के हस्ताक्षर हैं।

4. विचारण न्यायालय ने कई विवाद्यक विरचित करने के बाद वादी के वाद को इस निष्कर्ष को अभिलिखित करते हुए डिक्रीत कर दिया कि वादी साहूकार नहीं है, प्रतिवादी ने दिनांक 25.05.1992 और 26.05.1992 को ऋण लिया था और 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए सहमत हुआ था, वाद परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं है और यह सिद्ध नहीं हुआ है कि प्रतिवादी ने दलाल अमृत कुमार से राशि प्राप्त की थी। विचारण न्यायालय द्वारा यह भी धारित किया गया कि अमृत कुमार एक आवश्यक पक्षकार नहीं है और तदनुसार वाद को 25,000/- रुपये की राशि के लिए वादव्यय सहित डिक्रीत किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया कि प्रश्नगत दस्तावेज 'बंधपत्र' हैं और वादी को उपरोक्त दस्तावेजों पर 4% की दर से स्टांप शुल्क लगाना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. वादी के साथ-साथ प्रतिवादी ने भी उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध अलग-अलग सिविल अपीलें दायर कीं जो क्रमशः सिविल अपील क्रमांक 13-बी/2005 और 12-बी/2005 के रूप में पंजीकृत की गईं और विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और डिक्री द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील को यह निष्कर्ष निकालते हुए खारिज कर दिया और प्रत्यर्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया कि प्रदर्श पी/1 और पी/2 के दोनों दस्तावेज वचन पत्र हैं न कि बंधपत्र, और इसलिए विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वे बंधपत्र हैं, अपास्त कर दिया गया है एवं तदनुसार स्टाम्प शुल्क के संदाय से संबंधित निर्देश को भी अपास्त कर दिया गया है। आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री के माध्यम से, विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि प्रतिवादी साहूकार है, तथापि, वाद संस्थित करने की तिथि से ऋण राशि के पुनर्भुगतान तक उक्त ऋण राशि पर ब्याज इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि वादी ने साहूकारी अधिनियम की धारा 3 और 7 के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है और वाद संस्थित करने की तिथि से पुनर्भुगतान तक 25,000/- रुपये पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का आदेश दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित निर्णय और डिक्री चुनौती दी है:

1. कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुचित मूल्यांकन पर आधारित हैं।
2. दोनों अधीनस्थ न्यायालय प्रतिवादी द्वारा दलाल अमृत कुमार को बतौर साक्षी परीक्षित न कराए जाने के कारण उसके विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान निकालने में न्यायोचित नहीं थे, और उपरोक्त निष्कर्ष धन उधार देने के व्यवसाय में प्रचलित उस सामान्य पद्धति की अनदेखी करके निकाला गया है, जो दलालों के माध्यम से संपन्न की जाती है।
3. प्रदर्श पी-1 और पी-2 के दस्तावेज़ों पर अमृत कुमार के हस्ताक्षर अंकित हैं, जिसने प्रदर्श डी-1 का दस्तावेज़ भी निष्पादित किया है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि उसने तिरुपति सेल्स कॉरपोरेशन से सच्चानंद की ओर से 25,000/- रुपये की राशि प्राप्त की थी तथा यह भी शर्त निर्धारित की गई है कि वह वचन-पत्रों (प्रॉमिसरी नोट्स) को प्राप्त करने के पश्चात उन्हें वापस कर देगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रदर्श पी/1, पी/2 और डी/1 की जाँच कर तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना करने के उपरांत निष्कर्ष निकाला है कि वचन पत्रों का निष्पादन प्रतिवादी की इस स्वीकारोक्ति से स्थापित हो गया है कि उसने उपरोक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं और इसलिए, यह प्रतिवादी का दायित्व था कि वह यह स्थापित करे कि उसने दलाल के माध्यम से दोनों वचनपत्रों के विरुद्ध उक्त राशि का भुगतान कर दिया था और वह अपने इस भार का निर्वहन करने में विफल रहा है क्योंकि अपने तर्क के समर्थन में उसने दलाल

अमृत कुमार की परीक्षा नहीं कराई है। उपरोक्त निष्कर्ष अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित है और यह दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्ज तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष है जिसमें द्वितीय अपील के चरण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि प्रदर्श पी-1 और पी-2 के दस्तावेज़ वास्तव में भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 2(5) में परिभाषित बंध-पत्र हैं क्योंकि इसमें एक साक्षी के हस्ताक्षर हैं और यह वचन-पत्र नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने **संतसिंह बनाम मदनदास पनिका एवं अन्य, ए.आई.आर. 1976 एम.पी. 144** के प्रकरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. पूर्वोक्त निर्णय में भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 2(5) के तहत दी गई बंध-पत्र की परिभाषा और धारा 2(22) के तहत दी गई वचन-पत्र की परिभाषा तथा पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 4 के तहत वचन-पत्र की परिभाषा को उद्धृत किया गया है और तत्पश्चात यह धारित किया गया है जैसा कि नीचे दिया गया है; वचन-पत्र के अनिवार्य तत्व हैं:-

(1) भुगतान करने का एक बिना शर्त वचन;
(2) राशि मुद्रा की राशि होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए;

(3) भुगतान एक निश्चित व्यक्ति के आदेश पर, या लिखत के वाहक को होना चाहिए;

(4) तथा निर्माता को उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। यदि ये चार शर्तें विद्यमान हैं, तो लिखत एक वचन-पत्र है।

बंध-पत्र के अनिवार्य तत्व हैं:-

(1) भुगतान करने का एक वचन होना चाहिए;

(2) राशि मुद्रा की राशि होनी चाहिए लेकिन आवश्यक रूप से निश्चित नहीं;

(3) भुगतान लिखत में नामित किसी अन्य व्यक्ति को किया जाएगा;

(4) निर्माता को हस्ताक्षर करने चाहिए;

(5) लिखत एक गवाह द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए; और

(6) यह आदेशानुसार या वाहक को देय नहीं होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वचन-पत्र के अनिवार्य तत्वों और बंध-पत्र के तत्वों के बीच तुलना करने पर, तीन विशिष्ट विशेषताओं को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है;

(1) यदि लिखत के तहत देय राशि निश्चित नहीं है, तो वह वचन-पत्र नहीं हो सकता, हालांकि वह बंध-पत्र हो सकता है।

(2) यदि लिखत गवाह द्वारा अनुप्रमाणित नहीं है, तो वह बंध-पत्र नहीं हो सकता, हालांकि वह वचन-पत्र हो सकता है।

(3) यदि लिखत आदेशानुसार या वाहक को देय है, तो वह बंध-पत्र नहीं हो सकता, लेकिन वह वचन-पत्र हो सकता है।

तदनुसार, उपरोक्त उद्धृत मामले में यह धारित किया गया है कि बंध-पत्र गवाह द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए और यह आदेशानुसार या वाहक को देय नहीं होना चाहिए।

10. हालांकि, वर्तमान मामले में प्रदर्श पी-1 और पी-2 के दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से वाहक या आदेशानुसार देय भुगतान की शर्त रखते हैं और उपर्युक्त परिस्थितियों में, उन्हें बंध-पत्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि उपरोक्त दस्तावेज़ों में बंध-पत्र की विशेषताएं नहीं हैं, जबकि इसमें वचन-पत्र की सभी विशेषताएं हैं और केवल इसलिए कि यह एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित है, यह बंध-पत्र नहीं बन जाता है और इसलिए, विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करके कोई अवैधता नहीं की है कि विचाराधीन दस्तावेज़ वचन-पत्र हैं न कि बंध-पत्र।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तावित द्वितीय विधिक प्रश्न यह है कि 'क्या विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय प्रथम अपील में ऐसे बिंदु पर निष्कर्ष दर्ज करने में न्यायोचित थी जो अपीलार्थी द्वारा संहिता के आदेश 41 नियम 2 के प्रावधानों के अनुसार अपने अपील ज्ञापन में कभी नहीं उठाया गया था क्योंकि स्वीकार्य रूप से पक्षकारों को विचाराधीन दस्तावेज़ों की प्रकृति के संबंध में उनके तर्कों को रखने की अनुमति नहीं दी गई थी?" अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्क इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए मान्य नहीं किया जा सकता है कि वादी ने भी सिविल अपील क्रमांक 13-बी/2005 दायर किया था और विचारण न्यायालय के उन निष्कर्षों को चुनौती दी थी जिसके द्वारा उसे 4% की दर

से स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया था और आक्षेपित सामान्य निर्णय द्वारा दोनों अपीलों का निराकरण कर दिया गया है।

12. अतः उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तावित विधि का कोई भी सारभूत प्रश्न इस अपील के न्यायनिर्णयन के लिए अंतर्वलित नहीं है जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो और तदनुसार, अपील विफल होती है और बिना किसी वादव्यय से संबधित आदेश के प्रारंभिक चरण में ही खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश
05/01/2006

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**